



कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर



प्रेस नोट (दिनांक 30.01.2025) आयुक्तालय जोधपुर

श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु दिनांक 29.01.2025 को वक्त 9:00 पीएम से 11:00 पीएम तक चिह्नित स्थानों पर सघन नाकाबंदी के दौरान आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमों बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

पुलिस थाना सूरसागर द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही में एक अभियुक्ता बिदामी देवी पत्नी श्री जयंतीलाल कच्ची बस्ती, रावटी जोधपुर द्वारा बिना कोई लाइसेंस /अनुज्ञा पत्र के 1 लीटर हथकड़ी शराब अपने पास रखना पाया जाने पर जब्त कर गिरफ्तार किया गया।

एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना झंवर द्वारा एक कार्यवाही तथा इसी प्रकार अभियान के अंतर्गत अन्य एक्ट में **01** कार्यवाही की गई।

सायंकालीन गश्त एवं रात्रि कालीन गश्त के दौरान कुल **245** संदिग्ध वाहन चेक किए गए तथा राजकोप ऐप पर कुल **157** संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ **59** संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले **36** वाहन चालकों का 185 एम.वी.एक्ट के तहत **08** बंपर लगे वाहनों व **08** काला शीशा लगे वाहनों का एम.वी.एक्ट के तहत चालान तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों का 60 पुलिस एक्ट में **31** कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी
पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर

